Filing No-5240 सन 2025
Criminal Appeal No- 133 सन 2025

UPJB010056402025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE-UP2012}

फौजदारी अपील संख्या– 133/2025

नरेन्द्र आयु करीब 40 वर्ष पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम वारसाबाद, थाना गजरौला, जिला अमरोहा। ....**अपीलार्थी/ अभियुक्त।**

।। बनाम।।

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा बजरिये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जिला अमरोहा।
2. जयप्रकाश पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम औरंगाबाद, थाना डिडौली, जिला अमरोहा।

..............................**प्रत्यर्थीगण।**

अपीलार्थी की ओर से–**श्री निरंकार सिंह**, एडवोकेट

प्रत्यर्थी सं0–1 की ओर से– **श्री महावीर सिंह,** जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

प्रत्यर्थी सं0–2 की ओर से– **श्री कुलदीप सिंह**, एडवोकेट।

निर्णय

यह फौजदारी अपील, अपीलार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र के द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, अमरोहा द्वारा परिवाद संख्या–1538/2021 जयप्रकाश सिंह बनाम नरेन्द्र, धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिडौली, जिला अमरोहा में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 16.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी जयप्रकाश सिंह ने परिवाद में कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री गीता की शादी नरेन्द्र के साथ दिनांक 28.04.2018 को की थी। शादी के समय उसने अपनी हैसियत के अनुसार नरेन्द्र व उसके परिवार वालों को डबल बैड मय विस्तर, तकिया, गददे, चादर, एक ड्रेसिंग टेबिल, 06 कुर्सी, 01 मेज, 02 सन्दूक, 01 अलमारी, एक जाली, फ्रीज, एक वाशिंग मशीन, एक पंखा, 151 वर्तन, 01 मिक्सी मशीन, 05 चीजें, जिनमें 02 सोने की व 03 चांदी की, 10,000/–रुपये, 11,000/–रुपये कटोरे में, 17,800/–रुपये के कपड़े, जिसकी रसीद संलग्न है, 07 चीजें, जिनमें 04 सोने की व बाकी चांदी की, जिसमें से दो वापस आ गयीं तथा जयमाला पर 15,500/–रुपये दिये। इस समय को दिये जाने के समय गांव वाले व अन्य बहुत से रिश्तेदार हर्षपाल, आकाश मौजूद थे। शादी के बाद से ही विपक्षी नरेन्द्र व उसके परिवार वालों सुरेन्द्र, सतवीर, चरन सिंह, ओमपाल व भूपेन्द्र उसकी पुत्री को कम दहेज की शिकायत करके मानसिक व शारीरिक रूप से यात्नायें दी। दिनांक 19.08.2019 को उपरोक्त विपक्षीगण ने उसकी पुत्री की दहेज के कारण हत्या कर दी और जोया अस्पताल में डाल दिया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसकी पुत्री 08 माह की गर्भवती थी। विपक्षी सुरेन्द्र फोन से कार्यवाही वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है तथा वापस लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसकी पुत्री का स्त्रीधन अभी भी

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.08 16:15:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसकी ससुराल ग्राम वारसाबाद में उक्त लोगों के पास है। उक्त लोग उसके द्वारा दिये गये सामान को प्रयोग कर बेकार व खुर्द–बुर्द कर रहे हैं। उसने हर्षपाल व आकाश को साथ ले जाकर उक्त लोगों से स्त्री धन वापस करने को कहा, तो उक्त लोगों ने सामान देने से इंकार कर दिया तथा गन्दी–गन्दी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी।

3– उपरोक्त परिवाद में परिवादी जयप्रकाश का बयान अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं सी.डब्ल्यू.1 प्रदीप कुमार, सी.डब्ल्यू.2 आकाश व सी.डब्ल्यू.3 राजवती के बयान धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किये गये। तत्पश्चात सुनवाई के उपरान्त अभियुक्त नरेन्द्र को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया।

4– अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। उसने अपनी जमानत करायी। परिवादी जयप्रकाश की ओर से धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पी0 डब्लू0–1 के रूप में स्वयं को, पी0 डब्लू0–2 प्रदीप कुमार व पी0 डब्लू0–3 राजवती को परीक्षित कराया गया है। दिनांक 15.02.2023 को अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया तथा उसे उक्त आरोप पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

5– परिवादी की ओर से धारा 246 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.1 के रूप में स्वयं को, पी.डब्ल्यू.2 प्रदीप कुमार व पी.डब्ल्यू.3 राजवती को परीक्षित कराया गया है। दिनांक 24.09.2024 को अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

6– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 16.09.2025 के द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुये उसे उक्त धारा के अधीन एक वर्ष के साधारण कारावास व अंकन 5,000/–रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर यह फौजदारी अपील प्रस्तुत की गयी है।

7– प्रस्तुत में आक्षेपित निर्णय को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 16.09.2025 विधि विरूद्ध है, जिसे पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा किसी भी सामान की सत्यापित रसीद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। गवाहान प्रदीप कुमार व राजवती ने धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा 246 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिये गये साक्ष्य में भिन्न–भिन्न कथन किये हैं। परिवाद में सारे साक्षी हितबद्ध व परिवार के साक्षी हैं, जिनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उक्त साक्ष्य पर की गयी उसकी दोषसिद्धि विधि विरूद्ध है। परिवादी द्वारा परिवाद मात्र उससे अतिरिक्त धन वसूलने के लिए योजित किया था। उपरोक्त आधारों पर अपील को स्वीकार करते हुये आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 16.09.2025 अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

8– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

9– अपीलार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र की ओर से कहा गया कि पी .डब्ल्यू.1 जयप्रकाश द्वारा यह तर्क रखा गया है कि जयप्रकाश द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि दोनों शादियां बदले में हुई थीं। परिवादी द्वारा शादी के समय दिये गये सामान की कोई

सूची दाखिल नहीं की गयी है तथा जो सूची दाखिल की गयी है, वह मात्र छायाप्रति है, जो साक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी को स्त्रीधन मांगे जाने का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा स्त्रीधन की कोई मांग नहीं की गयी थी। परिवादी की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण है। परिवादी द्वारा उसकी बहन का स्त्रीधन भी वापस नहीं किया गया है। उपरोक्त के आधार पर अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हुये अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

10– इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क रखा गया है कि मृतका गीता की शादी के समय दिये गये स्त्रीधन की सूची विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे परिवादी द्वारा स्वयं प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। डी.डब्ल्यू.1 रामपाल द्वारा अपने साक्ष्य में स्त्रीधन उसके पास होना स्वीकार किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के प्रकाश में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं है। उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत फौजदारी अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

11– वर्तमान मामले में यह विचार किया जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 16.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी/ अभियुक्त नरेन्द्र की धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत की गयी दोषसिद्धि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में विधिसम्मत है ?

12– **पी.डब्ल्यू.1 जयप्रकाश** ने अपने धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में कहा है कि उसकी पुत्री की शादी नरेन्द्र के साथ दिनांक 28.04.2018 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी पुत्री के ससुराल वालों को दान–दहेज दिया था। शादी के बाद मय सामान सूची मुल्जिमान को सौंप दी थी। शादी में फर्नीचर, डबल बैड, सोफा–कुर्सी आदि, जेबर, कपड़ा–बर्तन व अन्य घरेलू सामान नकद अस्सी हजार रूपये मोटर साईकिल के व कटौरे में 26,500/–रुपये, जिसकी सूची पत्रावली पर दाखिल है, दिया था। उपरोक्त सामान उसकी पुत्री का स्त्री धन है, जो विपक्षीगण के कब्जे में है। उसकी पुत्री का उक्त स्त्री धन वापस नहीं किया। मांगते समय उसकी पत्नी राजवती, लड़का प्रदीप व आकाश व अन्य रिश्तेदार मौजूद थे। पत्रावली पर कागज संख्या–9 ख थाने को प्रेषित दी गयी थी। उसकी फोटो कापी पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.2 प्रदीप कुमार ने अपने कथन अंतर्गत धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पी.डब्ल्यू.1 के कथनों का समर्थन किया है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.3 राजवती ने भी अपने कथनों में उपरोक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन किया है।

13– **पी.डब्ल्यू.1 जयप्रकाश** ने अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने अपनी लड़की की शादी नरेन्द्र से 28.04.2018 को की थी। दोनों शादियां बदले में हुई थी। पुनीता ने उनके खिलाफ 498 ए भारतीय दण्ड संहिता का दावा किया था। प्रदीप के ऊपर 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता का दावा नहीं किया था। जब बदले में शादी हुई थी, तब लेनदेन कमबर्ती हुआ था। कमबर्ती लेनदेन की कोई बातचीत नहीं हुई थी, न ही कोई लिखित में हुई थी। जब पुनीता उसके लड़के को छोड़कर चली गयी, तो वे दहेज का सामान कहाँ से लौटायें। उन्होंने दहेज का सामान नहीं लौटाया। उनके घर ही है। पुनीता ने उनके ऊपर दहेज वापसी का कोई मुकदमा नहीं डाला है। उसने अपनी लड़के

के दहेज लेने का मुकदमा डाल रखा है। सामान की लिस्ट सामान के साथ दी थी। उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं कराये थे। उन लोगों ने पुनीता के सामान की कोई लिस्ट नहीं दी थी, न ही साक्षी ने कोई लिस्ट मांगी थी। जो सामान दहेज में आया था, वह साक्षी के पास है। एक–दूसरे का दान–दहेज, एक–दूसरे के पास मौजूद है। वे पुनीता का दहेज दिया हुआ नहीं लौटायेंगे, वो सामान वारिस का होगा। जब लड़की नहीं रही, तो वे अपना सामान वापस लेंगे। न्यायालय में जो लिस्ट दाखिल की है, वह झूठी नहीं है, सही है। रजामंदी में लिस्ट पर कोई हस्ताक्षर नहीं होते हैं। सामान की कुछ रसीदें पत्रावली पर लगी हैं, कुछ सामान के साथ चली गयीं। पत्रावली पर कोई रसीद दाखिल नहीं है, केवल सूची की फोटोकाफी दाखिल है।

14– **पी.डब्ल्यू.2 प्रदीप कुमार** ने अपने बयान अंतर्गत धारा 246 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 29.08.2018 को पुनीता से हुई थी। उसकी बहन की शादी दिनांक 28.08.2018 को हुई थी। उसने अपनी पत्नी का दहेज का सामान नहीं लौटाया और उसके पापा ने दहेज लौटाने के लिए मुकदमा डाला है। जब उसका तलाक हो जायेगा, तब वह उसका सामान लौटा देगा। उसे दहेज में मात्र एक बैड मिला था। उसने अपनी बहन की शादी में सब सामान दिया था।

15– **पी.डब्ल्यू.3 राजवती** ने अपने बयान अंतर्गत धारा 246 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि औरंगाबाद में उनका घर है, जहाँ वह रहते हैं। उसकी बहू कब से घर पर नहीं है, उसे जानकारी नहीं है।

16– **डी.डब्ल्यू.1 रामपाल सिंह** ने अपने कथन में कहा है कि नरेन्द्र उसका लड़का है, जिसकी शादी गीता से दिनांक 28.04.2018 को हुई थी। उसने पुनीता की शादी जयप्रकाश के लड़के पुनीत के साथ की थी। दोनों शादियां बदले में हुई थी। पुनीता उसके साढू की लड़की थी। उसे 05 वर्ष की उम्र में लाया था। उसने उसका पालन–पोषण व पढ़ाई करायी थी। पुनीता के ससुराल से जो दान–दहेज आया था, उससे बढ़ चढ़कर इस साक्षी ने अपनी बेटी को दान–दहेज दिया था। जितना गहना गीता को चढ़ाया था, वह सब जयप्रकाश के पास है। जो गहना पुनीता को चढ़ाया था, वह भी सब जयप्रकाश के पास है। इस साक्षी के साक्ष्य में यह भी आया है कि ये लोग अपना दहेज वापस लेना चाहते है, लेकिन हमारा दहेज वापस देना नहीं चाहते हैं। अगर यह लोग हमारा दहेज वापस कर देते हैं, तो हम इनका दहेज वापस कर देंगे।

इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह आया है कि जयप्रकाश ने गीता को जो सामान दिया था, वो हमारे घर ही है।

17– पी.डब्ल्यू.1 जयप्रकाश, पी.डब्ल्यू.2 प्रदीप कुमार व पी.डब्ल्यू.3 राजवती के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जयप्रकाश की पुत्री गीता की शादी अभियुक्त नरेन्द्र के साथ दिनांक 28.04.2011 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी तथा शादी के समय दिये गये स्त्रीधन के सम्बन्ध में एक सूची प्रदर्श क–1 पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श क–1 एक छायाप्रति है। प्रदर्श क–1 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त नरेन्द्र सिंह की पत्नी गीता की मृत्यु होने के पश्चात मामले में शिकायत किये जाने पर यह सूची तैयार की गयी है, जिस पर पी.डब्ल्यू.1 व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना दर्शित होता है। प्रदर्श क–1 पर अभियुक्त नरेन्द्र या उसके पिता के हस्ताक्षर होना दर्शित नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूची परिवादी जयप्रकाश की पुत्री गीता की मृत्यु होने के पश्चात तैयार की गयी है। अतः यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्श

क–1 में वर्णित सामान परिवादी जयप्रकाश की पुत्री गीता की शादी के समय अभियुक्त नरेन्द्र या उसके परिवार को सौंपा गया था।

यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में सामान्यतः किसी प्रलेख की छायाप्रति को साक्ष्य में साबित नहीं कराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रदर्श क–1 का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।

18– पी.डब्ल्यू.1 जयप्रकाश ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि परिवादी के पुत्र प्रदीप की शादी अभियुक्त नरेन्द्र के मौसा की लड़की पुनीता के साथ हुई थी। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन लोगों ने पी .डब्ल्यू.1 पुनीता के सामान की कोई लिस्ट नहीं दी थी, न ही इस साक्षी ने कोई लिस्ट मांगी थी। जो सामान दहेज में आया था, वह इस साक्षी के पास है। एक–दूसरे का दान–दहेज, एक–दूसरे के पास मौजूद है। वे पुनीता का दहेज दिया हुआ नहीं लौटायेंगे, वो सामान वारिस का होगा। जब लड़की नहीं रही, तो वे अपना सामान वापस लेंगे।

इस सम्बन्ध में डी.डब्ल्यू.1 रामपाल सिंह ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पुनीता की शादी जयप्रकाश के लड़के पुनीत के साथ की थी। दोनों शादियों बदले में हुये थी। पुनीता उसके साढ़ू की लड़की है। उसे पांच वर्ष की आयु में लाया था तथा उसका पालन पोषण किया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि ये लोग अपना दहेज वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उनका दहेज वापस देना नहीं चाहते। अगर ये लोग उनका दहेज वापस कर देते हैं, तो वे इनका दहेज वापस कर देंगे।

19– उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परिवादी जयप्रकाश के पुत्र प्रदीप की शादी अभियुक्त नरेन्द्र के मौसा की लड़की पुनीता के साथ हुई थी तथा अभियुक्त नरेन्द्र की शादी , परिवादी की पुत्री गीता के साथ हुई थी। उक्त दोनों शादियां बदले में हुई थी। परिवादी जयप्रकाश की ओर से विचारण न्यायालय की पत्रावली पर स्त्रीधन की सूची की मात्र छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसका मूल विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मूल प्रस्तुत न किये जाने का कोई कारण ही स्पष्ट किया गया है। उक्त सूची मृतका गीता की मृत्यु होने के पश्चात तैयार की गयी है। उपरोक्त स्थिति में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्श क –1 में वर्णित सामान मृतका गीता को स्त्रीधन के रूप में दिया गया था।

20– पी.डब्ल्यू.1 जयप्रकाश की प्रतिपरीक्षा में यह आया है कि एक –दूसरे का दान–दहेज एक दूसरे के पास है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.2 प्रदीप कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि जब उसका तलाक हो जायेगा, तब वह उसका सामान लौटा देगा।

21– डी.डब्ल्यू.1 रामपाल सिंह के साक्ष्य में आया है कि ये लोग अपना दहेज वापस लेना चाहते है, लेकिन हमारा दहेज वापस देना नहीं चाहते हैं। अगर यह लोग हमारा दहेज वापस कर देते हैं, तो हम इनका दहेज वापस कर देंगे।

इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह आया है कि जयप्रकाश ने गीता को जो सामान दिया था, वो हमारे घर ही है।

22– उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उभय पक्षों द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि दोनों ही पक्षों के द्वारा एक –दूसरे से प्राप्त दहेज को वापस नहीं किया गया है तथा दोनों ही पक्ष उक्त दहेज को वापस करने के लिए तैयार हैं।

23– **धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता** का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक है कि बेईमानीपूर्वक न्यस्त सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाये या ऐसी सम्पत्ति को अपने प्रयोग में परिवर्तित कर लिया जाये।

डी.डब्ल्यू.1 रामपाल ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि मृतका गीता का स्त्रीधन उनके घर पर मौजूद है। उपरोक्त स्थिति में अभियुक्त नरेन्द्र की मृतका गीता के स्त्रीधन को वापस न दिये जाने की कोई आपराधिक मंशा दर्शित नहीं होती है। उपरोक्त साक्ष्य के प्रकाश में यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त नरेन्द्र के द्वारा मृतका गीता के स्त्रीधन का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया गया है या उसे अपने प्रयोग में परिवर्तित कर लिया गया है।

24- उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी नरेन्द्र की धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत की गयी दोषसिद्धि तथ्य एवं विधि के अनुरूप नहीं है।

तदनुसार अपीलार्थी नरेन्द्र द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 16.09.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी नरेन्द्र धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी नरेन्द्र द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपत निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 16.09.2025 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी नरेन्द्र को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आक्षेपित दण्डादेश के अनुपालन में अपीलार्थी द्वारा जो अर्थदण्ड की धनराशि जमा की गयी थी, उसे नियमानुसार वापस किया जाये।

अपीलार्थी नरेन्द्र का व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437(A) का अनुपालन पन्द्रह दिन के अन्दर करे।

इस निर्णय की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय की पत्रावली उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने के लिए विचारण न्यायालय को यथाशीघ्र वापस भेजी जाये।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

दिनांक-08.06.2026 **(विवेक)**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक-08.06.2026 **(विवेक)**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक